



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 76/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रेवतराम पुत्र श्री पोकरराम		1. पानीदेवी बेवा बाबूराम
2. श्रवणराम पुत्र श्री पोकरराम		2. सायरराम पुत्र फुसाराम
जाति राईका निवासीगण		3. पदमाराम पुत्र फुसाराम
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा		4. सुखाराम पुत्र फुसाराम
जिला जोधपुर		5. चान्दु पुत्री फुसाराम
		6. सुगना पत्नी फुसाराम
		समस्त जातियान राईका
		निवासीगण हरियाढाणा
		तहसील बिलाड़ा,
		जिला जोधपुर
		7. उगमाराम पुत्र झुंझारराम जाति
		राईका, निवासी हरियाढाणा
		तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		8. राजस्थान सरकार जरिये
		तहसीलदार, (भूमिधारी) तहसील
		बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त राजस्व वाद में अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये फिर भी वकील वादी ने आज दिन तक कोई पालना नहीं की है जब से दावा पेश किया गया तब से वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को कोई नोटिस पुनः भरकर पेश नहीं किये इस कारण वादी का दावा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मजमे आम मे सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा